



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) सं. 367/2026

अनुष्का यादव, पिता- श्री अखिलेश यादव, आयु- लगभग 29 वर्ष, निवासी- मकान सं.
10, ब्लॉक-10, स्ट्रीट-7, प्रियदर्शिनी पारिसर (पश्चिम), मोतीलाल नेहरू नगर भिलाई, दुर्ग,
जिला- दुर्ग छत्तीसगढ़ 490020

..... याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़ 492002
- 2 - निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, स्वास्थ्य भवन, सेक्टर 19,
नॉर्थ ब्लॉक, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ 492002
- 3 - आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा आयुक्तालय, स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल,
सेक्टर 19, नॉर्थ ब्लॉक, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ 492002
- 4 - राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, द्वारा- निदेशक,
पॉकेट-14, सेक्टर-8, द्वारका फेज-1, नई दिल्ली 110077
- 5 - महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मंत्रालय, भारत सरकार, कक्ष क्र. 354, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण
भवन, दिल्ली-110011

---- उत्तरवादी



(वाद शीर्षक प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री नीतेश जैन, अधिवक्ता

उत्तरवादियों/राज्य की ओर से : श्री शशांक ठाकुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश

माननीय श्री रविन्द्र कुमार अग्रवाल, न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

द्वारा, श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश

27/01/2026

1. प्रस्तुत रिट याचिका आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी किए गए आदेश/अधिसूचना/पत्र सं. Q-1/छात्र/परामर्श/संचिशी/2026, दिनांक 22.01.2026 की वैधता और औचित्य को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत शैक्षणिक वर्ष 2025 के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित पहले और दूसरे दौर की पूरी परामर्श (काउंसिलिंग) प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है, और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ चिकित्सा महाविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश नियम, 2025 के संशोधित नियम 11 (क) के आवेदन को पहले से ही चयनित अभ्यर्थियों के लिए, दिनांक 23.01.2026 के स्पष्टीकरण के साथ-साथ एक नई काउंसिलिंग प्रक्रिया की सूचना देने वाले 23.01.2026 दिनांकित बाद के आदेश/अधिसूचना को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह मनमाना, असंवैधानिक और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन करने वाला है।

2. वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित अनुतोषों की मांग करते हुए प्रस्तुत की गई है:-



“10.1 यदि प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में माननीय न्यायालय उचित समझे तो न्यायालय द्वारा परिशीलन हेतु संबंधित उत्तरवादी प्राधिकारियों से अभिलेख मंगवाने हेतु एक रिट और/या उपयुक्त रिट की प्रकृति में एक आदेश जारी किए जाने की कृपा हो;

10.2 प्रतिवादी सं. 3 द्वारा वर्ष 2025 के दाखिलों हेतु पूर्व में आयोजित प्रथम एवं द्वितीय चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया, उसमें किए गए आवंटनों को रद्द करने वाले 22/01/2026 दिनांकित आदेश/पत्र तथा उससे उत्पन्न होने वाले एवं उससे संबंधित समस्त परिणामों को अपास्त करने वाला एक रिट और/या 'सर्टिओररी रिट' की प्रकृति का एक रिट/ आदेश जारी किए जाने की कृपा हो,

10.3 प्रतिवादी सं. 3 द्वारा वर्ष 2025 के दाखिलों हेतु पूर्व में आयोजित प्रथम एवं द्वितीय चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने वाले 23/01/2026 दिनांकित आदेश/पत्र तथा उससे उत्पन्न होने वाले एवं उससे संबंधित समस्त परिणामों को अपास्त करने वाला एक रिट और/या 'सर्टिओररी रिट' की प्रकृति का एक रिट/ आदेश जारी किए जाने की कृपा हो,

10.4 छत्तीसगढ़ चिकित्सा महाविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश नियम, 2025 के नियम 11 (क) के लागू किए जाने को, जहां तक यह वर्ष 2025 के लिए प्रवेश के लिए पहले और दूसरे चरण में आयोजित काउंसलिंग से संबंधित है, अधिकारातीत घोषित किए जाने हेतु एक रिट और/या 'सर्टिओररी रिट' की प्रकृति का एक रिट/ आदेश



जारी किए जाने की कृपा हो,

10.5 छत्तीसगढ़ चिकित्सा महाविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश नियम, 2025 के दिनांक 22/01/2026 और 23/01/2026 और नियम 11 (क) और 22/01/2026 एवं 23/01/2026 दिनांकित पत्र/आदेश को याचिकाकर्ता को लिए गए प्रवेश के संबंध में अध्ययन करने के लिए आवंटन के प्रभाव से निष्क्रिय घोषित किए जाने हेतु एक रिट और/या 'सर्टिओररी रिट' की प्रकृति का एक रिट/ आदेश जारी किए जाने की कृपा हो,

10.6 छत्तीसगढ़ चिकित्सा महाविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश नियम, 2025 के संशोधित नियम 11 (क) को एम. सी. सी. सं. 40/2026 दिनांक 16/01/2026 में इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बाद आयोजित होने वाले काउंसिलिंग के पश्चातवर्ती चरणों में लागू किए जाने हेतु उत्तरवादी प्राधिकारियों को निर्देशित करते हुए एक रिट और/या उपयुक्त रिट की प्रकृति का एक रिट/ आदेश जारी किए जाने की कृपा हो,

10.7 कार्यवाही की वाद व्यय;

10.8 याचिकाकर्ता को पूर्ण और सारभूत न्याय प्रदान करने के लिए प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायसंगत और उचित समझी जाने वाली कोई अन्य अनुतोष प्रदान किए जाने की कृपा हो।"

3. याचिका से सामने आए प्रकरण के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता भारत की नागरिक हैं और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थायी निवासी हैं। याचिकाकर्ता के माता-पिता भी छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी हैं और याचिकाकर्ता के पास राज्य का वैध अधिवास प्रमाण पत्र है। अतः याचिकाकर्ता भारत के संविधान के तहत संदत्त सभी मौलिक और संवैधानिक अधिकारों



की हकदार है। उत्तरवादी भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर "राज्य" है और इस माननीय न्यायालय के रिट अधिकारिता के लिए उत्तरदायी हैं।

4. याचिकाकर्ता ने वर्ष 2016 में पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर में सी. जी. पी. एम. टी. काउंसिलिंग (परामर्श) के माध्यम से एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया था। याचिकाकर्ता ने वर्ष 2021 में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण किया और उसके बाद 10.05.2021 से 09.06.2022 तक अनिवार्य घूर्णन चिकित्सा इंटरनशिप पूर्ण की। याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ चिकित्सा परिषद में विधिवत पंजीकृत है।

5. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के लिए, याचिकाकर्ता राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षण बोर्ड (एन.बी.ई.एम.एस.) द्वारा आयोजित एन. ई. ई. टी. (स्नातकोत्तर) परीक्षण में 03.08.2025 को सम्मिलित हुई, जिसका परिणाम 19.08.2025 को घोषित किया गया। याचिकाकर्ता ने 510 अंक और 21613 की अखिल भारतीय रैंक के साथ परीक्षण उत्तीर्ण की। इसके अनुसार, याचिकाकर्ता ने आवश्यक शुल्क जमा कर चिकित्सा परामर्श समिति (एम.सी.सी.) द्वारा आयोजित अखिल भारतीय परामर्श के लिए पंजीकरण कराया। अखिल भारतीय परामर्श के पहले दौर में, याचिकाकर्ता को अस्थायी रूप से जवाहर लाल नेहरू कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, भोपाल में विकिरण ऑन्कोलॉजी पाठ्यक्रम आवंटित किया गया था और उसने प्रथम वर्ष के लिए रु.1,25,000/- का शुल्क जमा किया।

6. साथ ही, याचिकाकर्ता ने छत्तीसगढ़ राज्य एन. ई. ई. टी. (स्नातकोत्तर) परामर्श, 2025 के लिए रु. 2,02,000/- का पंजीयन शुल्क जमा कर पंजीयन कराया, जो छत्तीसगढ़ चिकित्सा महाविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश नियम, 2025 द्वारा शासित है। इस माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) सं. 5937/2025 (डॉ. समृद्धि दुबे बनाम छत्तीसगढ़ राज्य) में जारी निर्देशों के अनुसार, राज्य ने पहली और दूसरी योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट) जारी की और परामर्श दौर (काउंसिलिंग राउन्ड्स)



आयोजित किए। याचिकाकर्ता को श्री शंकराचार्य चिकित्सा संस्थान, भिलाई में एम. डी. (रेडियो डायग्नोसिस) सीट आवंटित किया गया था, और उसने मूल दस्तावेज, शपथ-पत्र और वचन-पत्र (अंडरटेकिंग), रु.10,79,000/- प्रवेश शुल्क, रु.10,00,000/- की बैंक प्रतिभूति तथा रु.4,52,700/- छात्रावास शुल्क जमा कर 09.01.2026 को समस्त प्रवेश प्रक्रिया पूरी की। अनंतिम प्रवेश और पुष्टिकरण पत्र जारी किए गए, और याचिकाकर्ता 21.01.2026 को पाठ्यक्रम में सम्मिलित हुई (कोर्स ज्वाइन किया)।

7. राज्य परामर्श (स्टेट काउंसिलिंग) के माध्यम से प्रवेश प्राप्त करने पर, याचिकाकर्ता ने एम.सी.सी. के माध्यम से पहले आवंटित अखिल भारतीय कोटा सीट से 14.01.2026 को इस्तीफा दे दिया, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिभूति के तौर पर जमा की गई राशि जब्त हो गई। तत्पश्चात् इस माननीय न्यायालय द्वारा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2025 के संशोधित नियम 11 (क) को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिए जाने के बावजूद, उत्तरवादी सं. 3 ने पहले से ही दिए गए प्रवेश के साथ-साथ परामर्श (काउंसिलिंग) के पूरे पहले और दूसरे दौर को रद्द करने का आदेश जारी किया, जिसके बाद नए सिरे से परामर्श (काउंसिलिंग) शुरू करने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई। पूर्ण काउंसिलिंग प्रक्रिया और याचिकाकर्ता द्वारा पहले से ही प्राप्त प्रवेश को मनमाने ढंग से रद्द किए जाने से व्यथित होकर वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि समस्त प्रवेश प्रक्रिया के पूर्ण हो जाने और याचिकाकर्ता द्वारा आवंटित स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम में विधिवत शामिल होने के बाद, काउंसिलिंग के पहले और दूसरे दौर को रद्द करने में उत्तरवादी प्राधिकारियों की आक्षेपित कार्रवाई पूरी तरह से मनमानी, अवैध और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 21क का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता का चयन सख्ती से योग्यता के आधार पर और सुसंगत समय पर प्रचलित नियमों के अनुसार किया गया था। एक बार जब प्रवेश औपचारिकताओं के पूरे किए जाने, अस्थायी प्रवेश और पुष्टिकरण पत्र जारी किए जाने और शामिल होने (ज्वाइनिंग) का पत्र जमा करने पर याचिकाकर्ता के पक्ष में एक



निहित अधिकार अर्जित हो चुका था, तो याचिकाकर्ता की बिना किसी गलती के, कार्यपालक निर्णय द्वारा इसे छीन नहीं लिया जा सकता था। इस तरह की कार्रवाई न केवल याचिकाकर्ता के शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, परन्तु निष्पक्षता, तर्कसंगतता और गैर-मनमानी के परीक्षण में भी विफल होती है।

9. विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि काउंसिलिंग और सीट आवंटन के पहले और दूसरे दौर एम. सी. सी. सं. 40/2026 में इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश से बहुत पहले और 22.01.2026 पर संशोधित नियम 11 (क) के प्रकाशन से पहले क्रमशः 24.12.2025 और 07.01.2026 को पूरे किए गए थे। इस माननीय न्यायालय का कोई निर्देश नहीं है जो स्पष्टीकरण आदेश या संशोधित नियम को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने की अनुमति देता हो। इस तरह के किसी भी आदेश के अभाव में, उत्तरवादी प्राधिकारियों के पास एक संपन्न हो चुकी काउंसिलिंग प्रक्रिया को रद्द करने की कोई अधिकाहरिता नहीं थी। अन्यथा भी, नियमों में कोई भी संशोधन केवल भविष्यलक्षी रूप से काम कर सकता है और, सबसे अच्छा, काउंसिलिंग के भविष्य या नए दौर पर लागू किया जा सकता है और पहले से ही अंतिम रूप दिए गए प्रवेशों पर नहीं।

10. विद्वान अधिवक्ता अंत में निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ता ने ईमानदारी से कार्य करते हुए, राज्य में किए गए परामर्श (स्टेट काउंसिलिंग) के माध्यम से प्रवेश प्राप्त करने के बाद पहले आवंटित अखिल भारतीय कोटा सीट से इस्तीफा दे दिया, जिससे प्रतिभूति जमा जब्त हो गई और उसे अपूर्ण वित्तीय और शैक्षणिक नुकसान का सामना करना पड़ा। आक्षेपित निरस्तीकरण ने याचिकाकर्ता को एक अनिश्चित स्थिति में डाल दिया है, जिससे वर्षों की तैयारी और स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए दो साल के 'ड्रॉप' (उपाधि के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश न लेकर किसी परीक्षा की तैयारी करना) के बाद उसका करियर खतरे में पड़ गया है। शक्ति के इस तरह के मनमाने प्रयोग की अनुमति देने से अंतहीन काउंसिलिंग प्रक्रियाएं, प्रशासनिक अराजकता और न केवल याचिकाकर्ता के लिए परन्तु समान स्थिति के अभ्यर्थियों के लिए गंभीर पूर्वाग्रह उत्पन्न होगा। इसलिए, आक्षेपित



आदेश अपास्त किए जाने के योग्य हैं और याचिकाकर्ता को पहले से आवंटित सीट पर अपनी स्नातकोत्तर पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।

11. राज्य सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सम्मानपूर्वक निवेदन करते हैं कि रिट याचिका गलत धारणा वाली, अपरिपक्व और सारहीन है। 22.01.2026 और 23.01.2026 दिनांकित आक्षेपित आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि और एम. सी. सी. सं. 40/2026 में इस माननीय न्यायालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण के कड़ाई से अनुपालन में जारी किए गए हैं। राज्य, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा “**डॉ. तन्वी बहल बनाम श्रेय गोयल व अन्य**” (2025) एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 180 निर्धारित विधि और बाद के स्पष्टीकरण को लागू करने के लिए एक संवैधानिक दायित्व के अधीन होने के कारण काउंसिलिंग प्रक्रिया को सुधारने के लिए कर्तव्यबद्ध था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश संवैधानिक सिद्धांतों और स्थापित विधि के अनुसार किए जाएं। राज्य की कार्रवाई न तो मनमानी है और न ही भेदभावपूर्ण है, बल्कि प्रवेश प्रक्रिया को विधि के अनुरूप लाने के लिए की गई एक प्रामाणिक कवायद है।

12. आगे यह निवेदन किया गया है कि किसी भी उम्मीदवार को केवल अस्थायी आवंटन या प्रवेश के आधार पर कोई निहित या अविच्छेद्य अधिकार प्राप्त नहीं होता है, विशेष रूप से तब जब प्रवेश स्वयं वैधानिक नियमों, न्यायिक जांच और लंबित कार्यवाही के अंतिम परिणाम के अधीन हो। याचिकाकर्ता पूरी तरह से अवगत थी कि काउंसिलिंग प्रक्रिया और प्रवेश छत्तीसगढ़ चिकित्सा महाविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश नियम, 2025 के नियम 11 (क) से संबंधित मुकदमेबाजी के परिणाम के अधीन थे। अतः निहित अधिकार या वैध अपेक्षा का अभिवाक् गलत है। राज्य के पास काउंसिलिंग को रद्द करने या संशोधित करने का पर्याप्त अधिकार है यदि यह विधि के विपरीत पाया जाता है, और इस तरह की सुधारात्मक कार्रवाई को केवल इसलिए अवैध नहीं कहा जा सकता है



क्योंकि कुछ उम्मीदवार पहले ही एक अस्थायी प्रक्रिया के अनुसार शामिल हो चुके थे (ज्वाइन कर चुके थे)।

13. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि पूर्वव्यापी आवेदन के संबंध में विवाद पोषणीय नहीं है। आक्षेपित कार्रवाई संशोधित नियम के पूर्वव्यापी कार्यान्वयन के बराबर नहीं है बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक सुधारात्मक उपाय है कि प्रवेश अंततः संवैधानिक आदेश के अनुसार दिए जाएं। राज्य को चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश में निष्पक्षता, पारदर्शिता और एकरूपता बनाए रखने की आवश्यकता है, जो व्यक्तिगत असुविधा को प्रत्यादिष्ट हुए जनहित का विषय है। याचिकाकर्ता द्वारा आरोपित कोई भी वित्तीय नुकसान या कठिनाई आकस्मिक है और वैध प्रवेश की आवश्यकता पर अधिभावी नहीं होगी। यदि याचिकाकर्ता द्वारा मांगा गया अनुतोष प्रदान किया जाता है तो यह एक अवैधता को स्थिर रखेगा और समान स्थिति के अभ्यर्थियों के बीच असमानता उत्पन्न करेगा। इसलिए, रिट याचिका को संक्षेप में खारिज किया जाना चाहिए।

14. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और रिट याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

15. छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ चिकित्सा महाविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश नियम, 2025 तैयार किया है, जो 06.11.2025 से लागू होता है, बशर्ते अभ्यर्थियों को संस्थागत वरीयता दी जाए और जिन अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाती है उनका छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है। उक्त 2025 के नियमों के नियम 11 पर यहाँ ध्यान देना आवश्यक है:-

“प्रवेश में वरीयता :-

(क) राज्य कोटे में उपलब्ध सीटों पर सर्वप्रथम उन अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा, जिन्होंने या तो पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति



स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ से संबद्ध चिकित्सा महाविद्यालय से एम.बी.बी.एस. डिग्री प्राप्त की हो अथवा जो सेवारत अभ्यर्थी हो।

(ख) उपरोक्त उप-नियम (क) में उल्लिखित सभी पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश दिए जाने के उपरोक्त यदि सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो इन रिक्त सीटों पर, ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा, जिन्होंने नियम 11(क) में उल्लिखित के अतिरिक्त किसी अन्य चिकित्सा महाविद्यालय से एम.बी.बी.एस. डिग्री प्राप्त की हो।”

16. इससे पहले डॉ. समृद्धि दुबे ने इस न्यायालय की समन्वय पीठ के समक्ष रिट याचिका (सिविल) सं. 5937/2005 (डॉ. समृद्धि दुबे बनाम छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य) प्रस्तुत किया था, जिसे 20.11.2025 को निर्णीत किया गया था और आदेश की कण्डिका 21 में यह निर्धारित किया गया है कि:-

“21. डॉ. तन्वी बहल (पूर्वोक्त) के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांत के आलोक में, छत्तीसगढ़ चिकित्सा महाविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश नियम, 2025 के नियम 11 (क) और (ख) को अधिकारातीत तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला मानते हुए रद्द किया जाता है; और राज्य, छत्तीसगढ़ चिकित्सा महाविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश नियम, 2025 के नियम 11 (क) और (ख) में उल्लिखित श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के बीच कोई भेदभाव नहीं करेगा।”



17. इसके बाद, रिट याचिका सिविल (सिविल) सं. 5937/2025 में पारित आदेश की कण्डिका 21 में निहित निर्देशों के स्पष्टीकरण के लिए राज्य द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे एम. सी. सी. सं. 40/2026 (छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य बनाम डॉ. समृद्धि दुबे व अन्य) के रूप में पंजीकृत किया गया तथा 16.01.2026 दिनांकित आदेश के माध्यम से, एम. सी. सी. को निम्नलिखित स्पष्ट करते हुए निराकृत किया गया:-

“14. आवेदक/राज्य, के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने नियम 11 (क) एवं (ख) को नियम 2025 के नियम 11 (क), (ख), (ग), (घ) से प्रतिस्थापित करते हुए 01.12.2025 दिनांकित अधिसूचना जारी किया था। हालाँकि वह इस याचिका की विषय-वस्तु नहीं है फिर भी तथ्यों को ठीक से समझने हेतु हम इस पर ध्यान देना उचित समझते हैं, जो निम्नानुसार है:

“11. प्रवेश हेतु सीटों का संस्थागत आरक्षण :- शासकीय एवं निजी चिकित्सा की कुल उपलब्ध सीटों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। संस्थागत आरक्षण हेतु 50 प्रतिशत सीटें, तथा ओपन मेरिट हेतु 50 प्रतिशत सीटें।

(क) संस्थागत आरक्षण- 50 प्रतिशत सीटें

शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की कुल सीटों के उन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेगा जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित एन.एम.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से एम.बी.बी.एस. उत्तीर्ण किया है अथवा जो सेवारत अभ्यर्थी है। इन सीटों पर प्रवेश केवल संस्थागत आरक्षण के पात्र अभ्यर्थियों के मध्य मेरिट के आधार पर दिया





जाएगा।

(ख) गैर- संस्थागत आरक्षण- 50 प्रतिशत सीटें

गैर- संस्थागत आरक्षण शेष 50 प्रतिशत सीटें ओपन कैटेगरी मानी जाएंगी। इन सीटों पर प्रवेश सभी पात्र अभ्यर्थियों हेतु राज्य- स्तरीय मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा। ओपन सीटों पर किसी प्रकार का संस्थागत आरक्षण लागू नहीं होगा।

(ग) उपरोक्त दोनों श्रेणियों में राज्य में प्रचलित आरक्षण नियम 6 के तहत लागू होगा।

(घ) यदि संस्थागत आरक्षण के अंतर्गत निर्धारित सीटों पर पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो मॉप- अप राउण्ड की आवंटन प्रक्रिया के समय उन रिक्त सीटों का अंतरण (**conversion**) करते हुए उन्हें सामान्य (ओपन) श्रेणी में कर दिया जाएगा।”

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, तानी बहल (पूर्वोक्त) के मामले में यह टिप्पणी की है कि स्नातकोत्तर मेडिकल कोर्स में अधिवास (डोमिसाइल) आधारित आरक्षण गलत है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि संस्थागत आरक्षण की एक उचित संख्या अनुमेय है। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सी.ए. सं. 9289/2019 में एक विविध आवेदन, एम.ए. सं. 512/2025 दायर किया गया था, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 24.03.2025 दिनांकित आदेश के पहली कण्डिका में यह टिप्पणी की कि चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर सीटों के लिए निवास-आधारित आरक्षण अनुमेय नहीं था और केवल सीमित सीमा तक ही आरक्षण अनुमेय है, वह भी केवल संस्थागत वरीयता के लिए; जिसका अर्थ यह है कि





संस्थागत वरीयता एक निश्चित सीमा तक अनुमेय है।

16. उपरोक्त के आलोक में, रिट याचिका (सिविल) सं. 5937/2025 में पारित 20.11.2025 दिनांकित आदेश की कण्डिका 21 का लेख— "और राज्य, छत्तीसगढ़ चिकित्सा महाविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश नियम, 2025 के नियम 11 (क) और (ख) में उल्लिखित श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के बीच भेदभाव नहीं करेगा"— को विलोपित किया जाता है, और राज्य, तनवी बहल (पूर्वोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत के अनुसार कार्य करेगा।"

18. डॉ. तनवी बहल (पूर्वोक्त) के प्रकरण में माननीस सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि:-

"31. हम सभी भारत के क्षेत्र के अधिवासी हैं। हम सभी भारत के निवासी हैं। एक देश के नागरिकों और निवासियों के रूप में हमारा साझा बंधन हमें न केवल भारत में कहीं भी अपना निवास चुनने का अधिकार देता है, परन्तु हमें भारत में कहीं भी व्यापार और व्यवसाय या पेशे को जारी रखने का अधिकार भी देता है। यह हमें पूरे भारत के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने का अधिकार भी देता है। चिकित्सा महाविद्यालयों सहित शैक्षणिक संस्थानों में, किसी विशेष राज्य के निवासियों को 'आरक्षण' का लाभ केवल एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रमों में ही एक निश्चित सीमा तक दिया जा सकता है; जिसके कारण हमने पिछले कण्डिकाओं में बताए हैं। परन्तु स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम में विशेषज्ञ डॉक्टरों के महत्व को देखते हुए, 'निवास' के आधार पर उच्च स्तर पर आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। जगदीश सरन और प्रदीप जैन दोनों के ही प्रकरणों में इसे स्पष्ट



रूप से समझाया गया है। यदि इस तरह के आरक्षण की अनुमति दी जाती है तो यह कई छात्रों के मौलिक अधिकारों पर आक्रमण होगा, जिनके साथ केवल इस कारण से असमान व्यवहार किया जा रहा है कि वे संघ में एक अलग राज्य से हैं! यह संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता के खंड का उल्लंघन होगा और विधि के समक्ष समानता से इनकार करने के बराबर होगा।

32. **जगदीश सरन और प्रदीप जैन** के प्रकरणों में निर्धारित विधि का इस न्यायालय ने **सौरभ चौधरी** के प्रकरण में संविधान पीठ के निर्णय सहित अनेक निर्णयों में पालन किया है। हम यहाँ **मगन मेहरोत्रा व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य (2003) 11 एस. सी. सी. 186;** **निखिल हिम्मथानी बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य (2013) 10 एस. सी. सी. 237;** **विशाल गोयल व अन्य बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य (2014) 11 एस. सी. सी. 456** तथा **नील ऑरेलियो नून्स (अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण) व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य (2022) 4 एस. सी. सी. 1,** के प्रकरणों में निर्णयों को भी संदर्भित कर सकते हैं, जिन सभी में **प्रदीप जैन** के प्रकरण के निर्णय का अनुसरण किया गया है। इस प्रकार, स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में निवास-आधारित आरक्षण की अनुमति नहीं है।

33. यह तय करने के बाद कि स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में निवास के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं है, राज्य कोटे की सीटों को संस्थागत आरक्षण की एक उचित संख्या को छोड़कर पूरी तरह से अखिल भारतीय परीक्षा में योग्यता के आधार पर ही भरा जाना चाहिए। इसलिए, राज्य को अपने कोटे से जिन 64 सीटों को भरना था,



उनमें से 32 सीटें संस्था की प्राथमिकता के आधार पर भरी जा सकती थीं, और यह सीटें वैध हैं। परंतु शेष 32 सीटें, जिन्हें केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पूल के लिए आरक्षित किया गया था, उन्हें गलत तरीके से निवास के आधार पर भरा गया; और हम इस महत्वपूर्ण पहलू पर उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को सही ठहराते हैं।”

19. जब इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने 2025 के रिट याचिका (सिविल) सं. 5937 में पारित आदेश की कण्डिका 21 में पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि राज्य छत्तीसगढ़ चिकित्सा महाविद्यालय के स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश नियम, 2025 के नियम 11 (क) और (ख) में उल्लिखित श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के मध्य भेदभाव नहीं करेगा, तो याचिकाकर्ता किसी भी लाभ का दावा नहीं कर सकता है, भले ही उसे स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम में अस्थायी प्रवेश प्रदान किया गया हो और उसने आवंटित सीट के लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान किया हो।

20. 22.01.2026 को राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना के माध्यम से छत्तीसगढ़ चिकित्सा महाविद्यालय के स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश नियम, 2025 में संशोधन किया और नियम 11 में संशोधन किया गया है, जो निम्नानुसार है:-

अधिसूचना

क्रमांक **RULE-801/205/2025-MED.** छत्तीसगढ़ चिकित्सा महाविद्यालय के स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश अधिनियम, 2002 (28 सन् 2002) की धारा-3 सहपठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातोकोत्तर प्रवेश नियम, 2025 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्-

संशोधन

उक्त नियमों में-



नियम-11 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाए,
अर्थात्-

11. प्रवेश हेतु सीटों का विभाजन

(क) शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की सीटों में अखिल भारतीय कोटे हेतु समर्पित की गई 50 प्रतिशत राज्य कोटे की सीटों पर वे पंजीकृत अभ्यर्थी जिन्होंने एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण किया है अथवा जो छत्तीसगढ़ राज्य के सेवारत अभ्यर्थी हैं, प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

(ख) निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की सीटों में कुल 50 प्रतिशत सीटों पर वे पंजीकृत अभ्यर्थी, जिन्होंने एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण किया है अथवा जो छत्तीसगढ़ राज्य के सेवारत अभ्यर्थी हैं, प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

शेष उपलब्ध 50 प्रतिशत सीटों को प्राविण्यता के आधार पर ओपन सीटों की भांति आवंटित किया जाएगा। इस प्रयोजन हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण नहीं किया है (गैर-संस्थागत अभ्यर्थी) पात्र होंगे।

(ग) निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की 50 प्रतिशत ओपन सीटों पर भी राज्य में प्रचलित आरक्षण नियम-6 लागू होगा।

(घ) यदि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की सीटों के विरुद्ध पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं एवं सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो काउंसिलिंग की तृतीय चरण की आवंटन प्रक्रिया के समय उन रिक्त सीटों को रूपांतरित (Conversion) करते हुए उन्हें गैर-संस्थागत अभ्यर्थियों को आवंटित किया जा सकेगा।





21. 22.01.2026 दिनांकित अधिसूचना के अनुसार, यह देखते हुए कि पूरे आरक्षण रोस्टर/सीट मैट्रिक्स में बदलाव हो सकता है और आवंटन में भी बदलाव किया जा सकता है, उत्तरवादी सं. 3 द्वारा 22.01.2026 को एक आदेश जारी किया गया है और पहले और दूसरे चरण की काउंसिलिंग प्रक्रिया को 22.01.2026 दिनांकित सूचना (अनुलग्नक P/1) के माध्यम से निरस्त कर दिया गया है और 23.01.2026 को संस्थागत तथा गैर-संस्थागत कोटा के अंतर्गत सीटों के आवंटन को स्पष्ट करने हेतु उत्तरवादी सं. 3 द्वारा एक स्पष्टीकरण प्रकाशित किया गया है। उक्त स्पष्टीकरण पर यहाँ गौर करना आवश्यक है:-

“छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 40. अधिसूचना क्रमांक **RULE-801/205/2025-MED**, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 22 जनवरी 2026 द्वारा चिकित्सा स्नातकोत्तर (एम.डी./एम.एस.) पाठ्यक्रम, प्रवेश वर्ष 2025 के नियमों में किए गए संशोधन के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अधिसूचना में उल्लिखित ‘50 प्रतिशत सीटों पर ओपन कैटेगरी (**Open Category**) के आधार पर आवंटन का आशय यह है कि इन सीटों पर आवंटन पूर्णतः मेरिट के आधार पर किया जाएगा, जिसमें संस्थागत (**Institutional**) एवं गैर- संस्थागत (**Non-Institutional**) दोनों ही कोटे के पात्र अभ्यर्थी समान रूप से पात्र होंगे।”

22. चूंकि, 2025 के उक्त नियमों के नियम 11 (क) और (ख) में संशोधन किया गया है और उत्तरवादी सं. 3 ने काउंसिलिंग और सीटों के आवंटन के पहले के दौर को रद्द कर दिया है, इसलिए याचिकाकर्ता एक अविच्छेद्य अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकती है कि वह चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की आवंटित सीट के लिए हकदार होनी चाहिए, जिस पर वह पहले ही प्रवेश ले चुकी है।



23. पूर्वगामी विक्षेपण को देखते हुए, यह न्यायालय प्रस्तुत रिट याचिका में कोई सार नहीं पाता है। उत्तरवादी-राज्य द्वारा जारी किए गए 22.01.2026 और 23.01.2026 दिनांकित आक्षेपित आदेश, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "डॉ. तनवी बहल" (पूर्वोक्त) के प्रकरण में प्रतिपादित विधि और रिट याचिका (सिविल) सं. 5937/2025 तथा एम.सी.सी. सं. 40/2026 में इस न्यायालय द्वारा पारित स्पष्टीकरण आदेश के पूर्ण अनुपालन में पारित किए गए हैं। राज्य ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपने संवैधानिक और वैधानिक अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्य किया है कि स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश, निर्धारित विधिक सिद्धांतों और संवैधानिक आदेशों के पूर्णतः अनुरूप हों। यह सुस्थापित सिद्धांत है कि केवल अनंतिम आवंटन या प्रवेश के आधार पर कोई निहित या अविच्छेद्य अधिकार उत्पन्न नहीं होता है, विशेष रूप से तब, जब ऐसे प्रवेश न्यायिक जांच और सुधार के अधीन हों।

24. तदनुसार, रिट याचिका **खारिज** की जाती है।

25. आगे यह निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश का प्रभाव सर्वबंधी ("इन रेम") होगा और यह समान रूप से स्थित सभी अभ्यर्थियों पर समान रूप से लागू होगा। यहां जिन विवाद्यक पर निर्णय लिया गया है, वे निर्णायक रूप से हल हो गए हैं, और समान आधारों को उठाने वाली किसी भी अलग या क्रमिक याचिकाओं पर इस न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा, ताकि वादों की बहुलता को रोका जा सके और स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश प्रक्रिया में निश्चितता, अंतिमता और अनुशासन सुनिश्चित किया जा सके।

सही/-

(रवींद्र कुमार अग्रवाल)

न्यायाधीश

सही/-

(रमेश सिन्हा)

मुख्य न्यायाधीश



शीर्ष टिप्पण

छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2025 के नियम 11 में संसोधन को दृष्टिगत रखते हुए अभ्यर्थी चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में उस सीट के आवंटन के लिए एक अविच्छेद्य अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, जिसमें वह पहले ही प्रवेश ले चुका/चुकी है।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।